

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING
REVENUE AUTHORITY**

ORDERS

Delhi, the 28th January, 2010

F. No.10(977)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9993.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Katra Wilhelmsen Logistics Private Limited, K-13A, Hauz Khas, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8098 (Rs. Eight Thousand Ninety Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 80,98,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 2,84,921 to 4,46,880 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1046)/मु.स. (मुख्या)स.शु./08/9995.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हेरिज किचन्स प्रा. लि., ए-7, ग्राउंड फ्लोर, निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली-110013 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 9,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 1,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 900 (रुपये नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनि करेगी।

F. No. 10(1046)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9995.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Harrys Kitchens Private Limited, A-7, Ground Floor, Nizamuddin East, New Delhi-110013 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 900 (Rs. Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 9,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 1,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1037)/मु.स. (मुख्या)स.शु./08/9996.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गैस्ट इक्विपमेंट प्रा. लि. 1, ओसो ड्राइव, गदर्ईपुर रोड, नई दिल्ली-110030 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,44,00,100 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी

पृथक संख्या 10,001 से 2,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 14,401 (रुपये चौदह हजार चार सौ एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1037)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9996.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Guest Equipments Private Limited, 1, Osho Drive, Gadaipur Road, New Delhi-110030 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 14,401 (Rs. Fourteen Thousand Four Hundred One) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,44,00,100/- for Equity Shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 2,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1028)/मु.स. (मुख्या.)स.शु./08/9997.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रिमियम लेमिनेटर्स प्रा.लि. सीबी-ब्लॉक, 24डी, डीडीए फ्लैट्स, हरि नगर, घंटाघर, नई दिल्ली-110064 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 7,25,501 से 13,77,500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,000 (रु. दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No.10(1028)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9997.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Premium Laminators Private Limited, CB Block, 24D, DDA Flats, Hari Nagar, Clock Tower, New Delhi-110064 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,000 (Rs. Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.1,00,00,000 for Equity Shares certificates with distinctive Nos. 7,25,501 to 13,77,500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1034)/मु.स. (मुख्या.)स.शु./08/9998.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 37,53,00,000

मूल्य के बोनडस जो कि प्रोमिजरी नोट के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 201,00,01,867 से 201,00,05,619 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,75,300 (रुपये तीन लाख पिछहत्तर हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No.10(1034)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9998.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of Rs.3,75,300 (Rs. Three Lac Seventy Five Thousand Three Hundred) only on the aggregate value of Rs. 37,53,00,000 for bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 201,00,01,867 to 201,00,05,619 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1039)/मु.स. (मुख्या.)स.शु./08/10003.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मेगनेटी मारली इंडिया प्रा.लि., सूट नं. 303-304, प्लॉट नं. 9, जसोला डिस्ट्रीक सेन्टर, नई दिल्ली 110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 20, 00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 20,000 (रुपये बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No.10(1039)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10003.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Magneti Marelli India Private Limited, Suits No. 303-304, Plot No. 9, Jasola District Centre, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.20,000 (Rs. Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 20,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1031)/मु.स. (मुख्या.) स.शु./08/10018.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनैस कांफ़िडेंस लि., उर्जाविधि, 1 बाराखंबा लेन, कर्नाट

प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1053,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बॉण्ड्स जो कि डिबेन्चर के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00003510 (सीरीज 61) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1031)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10018.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of Debentures of Rs. 105300,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 61 bearing distinctive No. 00000001 to 00003510 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (861)/मु.स. (मुख्या.) स.शु./08/10019.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वेल इंडिया प्रा. लि., ब्लॉक बी-1, प्लॉट नं. एफ-2, मोहन कोपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 11,69,00,360 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 41,87,505 से 1,58,77,540 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,16,901 (रुपये एक लाख सोलह हजार नौ सौ एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(861)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10019.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vale India Private Limited, Block B-1, Plot No. F-2, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,16,901 (Rs. One Lac Sixteen Thousand Nine Hundred One) only on the

aggregate value of shares of Rs. 11,69,00,360 for Equity Shares Certificate with distinctive No. 41,87,505 to 1,58,77,540 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1000)/मु.स. (मुख्या.) स.शु./08/10020.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मेरिल इंडिया प्रा. लि., 16, ए/20 डब्ल्यूईए मैन अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 42,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 42,000 (रुपये ब्यालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1000)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10020.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Merial India Private Limited, 16, A/20, WEA Main Ajmal Khan Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 42,000 (Rs. Forty Two Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,20,00,000 for Equity Shares Certificates with distinctive Nos. 10,001 to 42,10,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1045)/मु.स. (मुख्या.) स.शु./08/10022.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री स्टेनले वर्क्स इंडिया प्रा. लि., एबी हाउस, 4/24ए, पहली मंजिल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,74,99,920 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 16,95,839 से 20,88,694 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 27,500 (रुपये सत्ताइस हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1045)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10022.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Stanley Works

India Private Limited, AB House, 4/24A, 1st Floor, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 27,500 (Rs. Twenty Seven Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,74,99,920 for Equity Shares certificates with distinctive Nos. 16,95,839 to 20,88,694 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1029)/मु.स. (मु.ख्या.) स.शु./08/10023.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि., दूसरी एण्ड तीसरी मंजिल, ए-विंग, स्टेटसमैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 98,72,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,65,751 से 2,48,09,750 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9,87,200 (रुपये नौ लाख सत्तासी हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1029)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10023.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pearls Infrastructure Projects Limited, 2nd & 3rd Floor, A-Wing, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9,87,200 (Rs. Nine Lac Eighty Seven Thousand Two Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 98,72,00,000 for Equity Shares Certificates with distinctive Nos. 50,65,751 to 2,48,09,750 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1032)/मु.स. (मु.ख्या.) स.शु./08/10024.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोमेन्टा इन्फ्राटेक प्रा. लि., बी-1, आकाश भारती अपार्टमेंट, 24, आईपी एक्सटेंशन, पटपडगंज, दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 10,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1000 (रुपये एक हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1032)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10024.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Momenta Infratech Private Limited, B-1, Akash Bharti Apartment, 24 IP Extension, Patparganj, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1000 (Rs. One Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,00,000 for Equity Shares Certificates with distinctive Nos. 1 to 1,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1030)/मु.स. (मु.ख्या.) स.शु./08/10025.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ओम विजय निवेश प्रा. लि., पी-7, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,01,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 34191 से 74390 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 20,100 (रुपये बीस हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1030)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10025.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Om Vijay Nivesh Private Limited, P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,100 (Rs. Twenty Thousand One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,01,00,000/- for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 34191 to 74,390 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (934)/मु.स. (मु.ख्या.) स.शु./08/10026.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोसलाईट इंडिया टेलिकाम प्रा. लि., सी-160, जेवीटीएस गार्डन्स, छतरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110074 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,45,30,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,08,42,114 से 1,42,95,113 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 34,530 (रुपये चौतीस हजार पांच सौ तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (934)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10026.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Coslight India Telecom Private Limited, C-160, JVTS Gardens, Chhatarpur Extension, New Delhi-110074 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 34,530 (Rs. Thirty Four Thousand Five Hundred Thirty) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,45,30,000 for Equity Shares certificate with distinctive No. 1,08,42,114 to 1,42,95,113 to be issued by the said company.

संशोधन आदेश

सं. फा. 10(905)/मु.स. (मुख्या.) स.शु./08/10027.— दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या सं. फा.10(905)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/7949 दिनांक 19-10-2009 जिसके तहत सर्वश्री कोसलाईट इंडिया टेलिकाम प्रा.लि., सी-160, जेव्हीटीएस गार्डन्स, छतरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110074 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 6,52,39,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 43,18,214 से 65,23,900 पर लगने वाले समेकित मुद्रांक शुल्क रुपये 65,239 (रुपये पैंसठ हजार दौ सो उनतालिस) के भुगतान का आदेश दिया गया था, उपरोक्त आदेश में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है, शेयरों की संख्या इस प्रकार पढी जाये :— इक्विटी शेयर जिसकी पृथक संख्या 43,18,214 से 1,08,42,113 है ।

CORRIGENDUM

F. No.10(905)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10027.—In partial modification of Notification Order issued vide F. No.10(905)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7949 dated 19th October, 2009 issued by order of Chief Controlling Revenue Authority, Government of NCT of Delhi for the payment of consolidated stamp duty of Rs. 65,239 (Rs. Sixty Five Thousand Two Hundred Thirty Nine) on the aggregate value of shares of Rs. 6,52,39,000 by M/s. Coslight India Telecom Private Limited, C-160, JVTS Gardens Chhatarpur Extension, New Delhi-110074 for equity shares bearing distinctive No. 43,18,214 to 65,23,900. The distinctive No. of the Share certificate to be issued shall read as follows: distinctive No. 43,18,214 to 1,08,42,113.

आदेश

सं. फा. 10 (948)/मु.स. (मुख्या.) स.शु./08/10028.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पीपवाव रेलवे कार्पोरेशन लि., पहली मंजिल, गेट नं. 4, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए

जाने वाले रुपये 5,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19,10,00,021 से 19,60,00,020 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 50,000 (रुपये पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

ORDERS

F. No.10(948)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10028.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pipavav Railway Corporation Limited, 1st floor, Gate No. 4, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 19,10,00,021 to 19,60,00,020 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (928)/मु.स. (मुख्या.) स.शु./08/10029.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पीपवाव रेलवे कार्पोरेशन लि., पहली मंजिल, गेट नं. 4, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 18,60,00,021 से 19,10,00,020 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 50,000 (रुपये पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No.10(928)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10029.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pipavav Railway Corporation Limited, 1st floor, Gate No. 4, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 18,60,00,021 to 19,10,00,020 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (947)/मु.स. (मुख्या.) स.शु./08/10030.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री

एक्सपोमिडिया इवेन्ट्स इंडिया प्रा. लि., बी-509, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 62,48,650 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 80,15,017 से 86,39,881 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6249 (रुपये छः हजार दो सौ उनचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No.10(947)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10030.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Expomedia Events India Private Limited, B-509, 2nd Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.6249 (Rs. Six Thousand Two Hundred Forty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 62,48,650 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 80,15,017 to 86,39,881 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (938)/मु. स. (मुख्या. प्र.शु./08/10031.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आनन्द मोटर प्रोडक्ट्स प्रा. लि., 2686, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,07,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,00,001 से 40,70,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30,700 (रुपये तीस हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (938)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10031.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Anand Motor Products Private Limited, 2686, Kashmiri Gate, Delhi-110006 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,700 (Rs. Thirty Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,07,00,000 for Equity Shares certificates with distinctive No. 10,00,001 to 40,70,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (946)/मु. स. (मुख्या. प्र.शु./08/10035.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सपोमिडिया इवेन्ट्स इंडिया प्रा. लि., बी-509, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 13,21,580 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 86,39,882 से 87,72,039 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1322 (रुपये एक हजार तीन सौ बाईस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (946)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10035.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Expomedia Events India Private Limited, B-509, 2nd Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1322 (Rs. One Thousand Three Hundred Twenty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 13,21,580 for Equity Shares certificate with distinctive No. 86,39,882 to 87,72,039 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (939)/मु. स. (मुख्या. प्र.शु./08/10034.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिवार्ड पकेजिंग प्रा. लि., 19 डीडीए कमर्शियल कम्प्लेक्स, कैलाश कालोनी एक्स., नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 99,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 10,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9900 (रुपये नौ हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (939)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10034.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Seaward Packaging Private Limited, 19, DDA Commercial Complex, Kailash Colony Extn., New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9900 (Rs. Nine Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 99,00,000 for Equity Shares certificate with distinctive No. 10,001 to 10,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (940)/मु. स. (मुख्या. प्र.शु./08/10033.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री यू के पेन्ट्स (इंडिया) प्रा. लि., 19 डीडीए कमर्शियल कम्प्लेक्स, कैलाश कालोनी एक्स., जमरूंदपुर, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 99,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,94,242 से 2,52,520 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5828 (रुपये पांच हजार आठ सौ अट्ठाईस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No.10(940)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10033.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. U. K. Paints (India) Private Limited, 19, DDA Commercial Complex, Kailash Colony Extn., Zamrudpur, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.5828 (Rs. Five Thousand Eight Hundred Twentyeight) only on the aggregate value of shares of Rs. 99,00,000 for Equity share certificate with distinctive No. 1,94,242 to 2,52,520 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (993)/मु.स. (मुख्या.)स.शु/08/10032.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सपोमिडिया इवेन्ट्स इंडिया प्रा. लि., बी-509, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 92,41,350 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 87,72,040 से 96,96,174 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9242 (रुपये नौ हजार दो सौ ब्यालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव

F.No.10(993)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10032.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Expomedia Events India Private Limited, B-509, 2nd Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9242 (Rs. Nine Thousand Two Hundred Forty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 92,41,350 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 87,72,040 to 96,96,174 to be issued by the said company.

423 DG/10-3

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
VIJAY KUMAR, Jt. Secy.

सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री यू के पेन्ट्स (इंडिया) प्रा. लि., 19 डीडीए कमर्शियल कम्पलेक्स, कैलाश कालोनी एक्स., जमरूंदपुर, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 99,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,94,242 से 2,52,520 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5828 (रुपये पांच हजार आठ सौ अट्ठाईस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No.10(940)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10033.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. U. K. Paints (India) Private Limited, 19, DDA Commercial Complex, Kailash Colony Extn., Zamrudpur, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.5828 (Rs. Five Thousand Eight Hundred Twentyeight) only on the aggregate value of shares of Rs. 99,00,000 for Equity share certificate with distinctive No. 1,94,242 to 2,52,520 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (993)/मु.स. (मुख्या.)स.शु/08/10032.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सपोमिडिया इवेन्ट्स इंडिया प्रा. लि., बी-509, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 92,41,350 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 87,72,040 से 96,96,174 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9242 (रुपये नौ हजार दो सौ ब्यालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव

F.No.10(993)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10032.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Expomedia Events India Private Limited, B-509, 2nd Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9242 (Rs. Nine Thousand Two Hundred Forty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 92,41,350 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 87,72,040 to 96,96,174 to be issued by the said company.

423 DG/10-3

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
VIJAY KUMAR, Jt. Secy.